न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

1– बलराम यादव , 2– रामप्रसाद यादव

द्वारा आज दि. 20/01/16 को 3– पहलवान यादव पुत्रगण गजाधर यादव

प्रस्तुत निबासी ग्राम बिहारीपुरा, तहसील जतारा, जिला टीकमगढ़ म0 प्र0

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 4– सतुआ तनय मुन्नासौंर ,

निबासी ग्राम कारी, तहसील, जिला टीकमगढ़ म0 प्र0

.....आवेदकगण

वनाम

म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़ ..... अनावेदक

20.1.16

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदकगण यह निगरानी न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ जिला द्वारा प्र0 क0 68/पुनर्विलोकन/2012–13 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 03/01/2013 से परिवेदित होकर कर रहे हैं। जो समय सीमा में न होने से धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र संलग्न है। माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

२– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम उत्तरी कारी स्थित भूमि खसरा नंबर 149/17 रकवा 0.971 हैक्टर आवेदक कमांक 04 सतुआ के नाम से राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी हक में दर्ज थीं उपरोक्त भूमि को बिकय करने वावद आवेदक कमांक चार द्वारा एक आवेदनपत्र कलेक्टर महोदय जिला टीकमगढ को बिकय की अनुमति प्रदान करने वावद प्रस्तुत किया गया। जिसे कलेक्टर महोदय द्वारा प्रकरण कमांक 01/अ–21/09–10 में पारित आदेश दिनांक 16/10/2009 के द्वारा आवेदक 04 को भूमि बिकय करने की अनुमति विधिवत प्रकिया अपनाकर तह0 एवं अनु0 अधिकारी की अनुशंशा के आधार पर की प्रदान कर दी। जिसके आधार पर आवेदकगण कमांक 1 , 2 , 3 द्वारा उपरोक्त भूमि आवेदक कमांक 04 से जरिये रजिस्टर्ड वैनामा के प्रतिफल प्रदान करके कय कर ली तथा कय दिनांक से ही आवेदक कमांक 1 से 3 उपरोक्त भूमि पर काबिज हैं।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 219–दो/16 जिला – टीकमगढ़

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21.1.16	आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में बहस की गई। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0क0 68/पुर्नविलोकन/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 3.1.2013 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 जिसे आगे संहिता कहा जायेगा कि धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक कमांक 1 से 3 ने आवेदक कमांक 4 सतुआ से ग्राम उत्तरी कारी स्थित भूमि खसरा न0 149/17 रकवा 0.971 हैक्टेयर जरिये वैनामा से कय की थी, जो आवेदक कमांक 4 सतुआ के नाम से राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी हक में दर्ज थी। उपरोक्त भूमि को विकय करने वावत आवेदक कमांक 4 द्वारा एक आवेदन पत्र कलेक्टर जिला टीकमगढ़ को विकय की अनुमति प्रदान करने वावत प्रस्तुत किया गया । जिसे कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 01/अ–21/09–10 में पारित आदेश दिनांक 16.10.2009 के द्वारा आवेदक कमांक 4 को भूमि विकय करने की अनुमति विधिवत प्रकिया अपनाकर प्रदान कर दी थी । जिसके	

आधार पर आवेदकगंण कमांक 1 से 3 द्वारा उपरोक्त भूमि आवेदक कमांक 4 से कय कर ली थी । कलेक्टर द्वारा अपने पूर्वाधिकारी के आदेश दिनांक 16.10.2009 में यह कमीं पाये जाने पर कि आदेश पारित करते समय कहीं यह उल्लेख नहीं किया गया था, कि कितनी कीमत में यह भूमि विकय की जावेगी । कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता की धारा 51 के तहत प्रकरण में पुनर्विलोकन किये जाने की अनुमति राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर से प्राप्त की गई व आदेश दिनांक 03.01.2013 के द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 16.10.2009 को निरस्त करते हुये अंतरण को शून्यवत् घोषित किया । इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

आवेदकगंण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये गये । उन्हें श्रवण किया गया । प्रकरण सुनवांई वावत ग्राहय कर गुंण दोषों पर निराकरण किया जा रहा है । उन्होंने अपने तर्कों में कहा है कि भूमि स्वामी सतुवा तनय मुन्ना सौर द्वारा विधिवत् रूप से अपनी भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि विकय करने की अनुमति सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर से प्राप्त करने वावत् विधिवत आवेदन प्रस्तुत किया गया था । जिसकी कलेक्टर ने तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी से जांच करवाकर प्रतिवेदन प्राप्त किया था । तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी से जांच करवाकर प्रतिवेदन प्राप्त किया था । तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भूमि विकय करने की अनुमति दिये जाने की अनुसंशा की थी, कलेक्टर ने निर्धारित

गाइड लाइन के आधार पर विक्रय करने की अनुमति दी थी । मैने प्रकरण एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तवेजों का अवलोकन किया, कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा बिना किसी आधार के यह निष्कर्ष निकाला गया है कि भूमि का पूर्ण प्रतिफल नहीं दिया गया है । कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा 16.10.2009 को विक्रय की अनुमति देने व तत्पश्चात् निष्पादित विक्रय पत्र में प्रतिफल की कमीं की कोई शिकायत विक्रेता सतुवा द्वारा नहीं की गई थी । इस कारण पारित आदेश दिनांक 03.01.2013 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है । पूर्व कलेक्टर द्वारा तत्समय प्रचलित गाईड लाइन के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी गई थी । तदनुसार ही उसके प्रतिफल का भुगतान किया गया था, तथा यदि कलेक्टर द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के नाम से विक्रय की अनुमति दी जाती तो वह व्यक्ति सुविधा एवं शर्तों के अनुसार भूमि विक्रय करता और विक्रेता को उसका सही मूल्य नहीं मिलता । आवेदक की ओर से यह भी तर्क किया गया है कि भूमि का विक्रय सक्षम अधिकारी से विधिवत् अनुमति प्राप्त करने के बाद किया गया है । इसमें किसी प्रकार का कपट पूर्ण संव्यवहार नहीं हुआ है । अतएव स्वप्रेरणा से पुनर्विलोकन की कार्यवाही उचित नहीं है । मेरे द्वारा मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भी इसी प्रकार के अन्य प्रकरणों का निराकरण करते हुये कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.01.2013 को वैध नहीं माना है । जिनकी विषय वस्तु एक समान होने से इस प्रकरण में भी पारित आदेश दिनांक 03.01.2013 निरस्त किये जाने की अनुरोध किया गया है । आवेदकगंण की ओर से

प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 01/अ–21/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 16.10.2009 में विवादित भूमि को निर्धारित गाइड लाइन के आधार पर विकय करने की अनुमति दी है । विकय उपरांत राजस्त अभिलेख में नामांतरण भी हो चुका है । पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भी प्रकरण कमांक 833/2/2013 रामराजा होम्स विरूद्व शासन एवं अमित कुमार विरूद्व रानी बगैरह में आदेश दिनांक 22.10.2014 को पुनर्विलोकन आदेश स्थिर रखते हुये कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.01.2013 को निरस्त किया है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 68/पुनर्विलोकन/2011–12 मे पारित आदेश दिनांक 03.01.2013 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है, तथा प्रकरण कमांक 01/अ–21/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 16.10.2009 वहाल किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि इस प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पर केताओं के नाम पूर्ववत् दर्ज किये जावें ।

सदस्य